

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ:3(4)आ.प्र.सहा./स्था/2012/

जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक स्वीकृति

वित्त विभाग की आईडी संख्या 332600182 दिनांक 11.02.2026 के अनुसरण में राज्य के 41 जिलों के लिए जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुदृढीकृत किये जाने, विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किये जाने, विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन किये जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग आदि हेतु एजेन्सी के माध्यम से 41 यूनिट मैन विद् मशीन (प्रत्येक जिले में 01) एवं मुख्यालय (आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज., जयपुर) पर 01 यूनिट मैन विद् मशीन रखे जाने की संविदा सेवाओं की अवधि दिनांक 01.03.2026 से 28.02.2027 तक निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

1. वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा-निर्देश एवं आर.टी.टी.पी अधिनियम 2012/ आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।
2. भारत सरकार की एसडीआरएफ गार्डिलाईन के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से उक्त प्रयोजनार्थ राशि का व्यय किया जा सकेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।

उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्राभारित होगा:-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01- सूखा

800- अन्य व्यय

(04)- (कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पोंस)

(04)- [आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण]

41- संविदा व्यय

(शैफाली कुशावाहा)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ उपशासन सचिव, अति.मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. विभागीय स्टोरकीपर को मुख्यालय हेतु एक मैन विद् मशीन हायर करने हेतु।
6. लेखा शाखा (भुगतान) आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।

उप शासन सचिव

Document certified by SHEFALI KUSHWAHA
<shelikushwaha04@gmail.com>

Digitally Signed by
Kushwaha
Designation: Deputy Secretary To
Government
Date :19-02-2026 11:16:06

RajKaj Ref No.:
20573699
eSign DSC



कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग, प्रतापगढ़

क्रमांक : लेखा/आ.प्र.सहा/बाढ़/2026/3070
वास्ते:-

दिनांक 27/02/2026

मैसर्स एल.एन. इंटरप्राइजेज
प्रतापगढ़ (राज.)

विषय:- कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्यादेश।

प्रसंग:- आप द्वारा प्रस्तुत कॉटेशन दिनांक 27.02.2026 एवं तुलनात्मक विवरण में न्यूनतम दर (L-1)
प्राप्त होने के फलस्वरूप।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक कॉटेशन के क्रम में लेख है कि आपकी दर न्यूनतम होने से
उपापन समिति द्वारा कार्यादेश जारी करने की अभिशंषा की गई है। अतः आपको इस कार्यालय में 01
कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्यादेश जारी किया जाता है। सेवा की शर्तें एवं वित्तीय
विवरण निम्नानुसार रहेंगे-

वित्तीय विवरण-

क्र.सं.	मद का विवरण	स्वीकृत दर (प्रति माह/ऑपरेटर)
01.	बेसिक मानदेय	9364 /-रु
02.	ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई	नियमानुसार (वास्तविक देयता अनुसार)
03.	सर्विस चार्ज	1000 /-
04.	जीएसटी	नियमानुसार (18%)

शर्तें:-

01. निविदा अनुरूप कार्यादेश उपरांत 500/-रु का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध 02 प्रस्तुत
करना होगा। उसके पश्चात् ही अनुबंध प्रभावी होगा।
02. यह कार्यादेश दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 28.02.2027 तक मान्य होगा। कार्य संतोषजनक रहने
पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।
03. फर्म को प्रत्येक माह बिल के साथ ऑपरेटर के ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा करने के चालान
प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। श्रम विभाग राजस्थान के नियमों का पूर्ण पालन करना होगा।
04. सेवाप्रदाता को माह की समाप्ति पर बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान नियमानुसार कटौती
उपरांत किया जायेगा।
05. कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय समय के अनुसार कार्य करना होगा एवं सौंपे गए समस्त कार्यों को
निष्ठापूर्वक पूर्ण करना होगा।
06. कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा 15 दिन के पूर्व नोटिस पर इस अनुबंध को
समाप्त किया जा सकता है।

अतः आप निर्देशानुसार सेवाएं तत्काल प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें एवं संबंधित व्यक्ति का विवरण
(आधार,पैन एवं शैक्षणिक योग्यता) कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)